

प्रारंभिक परीक्षा

हॉर्निबल महोत्सव

संदर्भ

हॉर्निबल महोत्सव के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं।

हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में -

- यह नागालैंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित 10 दिवसीय वार्षिक पर्यटन प्रचार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य इसकी समृद्ध और पारंपिरक सांस्कृतिक विरासत को उसकी जातीयता, विविधता और भव्यता के साथ प्रदर्शित करना है।
- इसका नाम **हॉर्निबल पक्षी** के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इसका संबंध लोककथाओं, नृत्यों, गीतों और पक्षी के पंखों के उपयोग के माध्यम से नागाओं के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन से है, जो औपचारिक पोशाक और पुरुषों के सिर के पहनावे पर रूपांकन के रूप में उपयोग किया जाता है।
- इसकी **शुरुआत 2000** में हुई थी।

तथ्य

- पक्के पागा हॉर्निबल महोत्सव (पीपीएचएफ) अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है।
- यह न्यीशी **समुदाय (अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह)** द्वारा मनाया जाता है।

हॉर्नबिल के बारे में -



- उष्णकिटबंधीय वृक्षों के बीजों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण हॉर्निबल को जंगल का माली या किसान कहा जाता है।
- वे एशियाई वर्षावन में सबसे बड़े फलभक्षी (फल खाने वाले पिक्षयों) में से एक हैं।




- ग्रेट हॉर्निबल केरल और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है (नागालैंड का नहीं)।
- विविधताः
 - विश्व भर में हॉर्निबल की लगभग 62 प्रजातियाँ हैं।
 - भारत इनमें से 9 पक्षी प्रजातियों घर है जिनमें ग्रेट हॉर्निबल, मालाबार पाइड हॉर्निबल और रूफस-नेक्ड हॉर्निबल शामिल हैं।
- विस्तार:
 - o यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है।
 - भारत में प्रमुख आवास: नमदफा राष्ट्रीय उद्यान (एशिया भर में हॉर्निबल का उच्चतम घनत्व) और पश्चिमी घाट।
- खतरे: अवैध लॉगिंग (logging), वनों की कटाई, मांस और शरीर के अंगों के औषधीय महत्व के लिए शिकार।
- संरक्षण स्थिति:

IUCN: लुप्तप्रायWPA: अनुसूची।CITES: परिशिष्ट।

स्रोत:

• पीआईबी - हॉर्नबिल महोत्सव के 25 वर्ष पूरे होने पर





सबमरीन केबल लचीलेपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति ने संयुक्त रूप से सबमरीन केबल लचीलेपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय का गठन किया है।

सबमरीन केबल लचीलेपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय के बारे में -

- इस पहल का उद्देश्य सबमरीन कैबलों के लचीलापन को मजबूत करना है, जो वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के कामकाज के लिए आवश्यक हैं।
- भूमिका और कार्यः
 - जोखिमों को कम करने, केबल के लचीलेपन में सुधार करने और त्वरित मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए सरकारों और उद्योगों में सर्वोत्तम अभ्यास को बढ़ावा देना।
 - बढ़ते यातायात, पुराने बुनियादी ढांचे और सबमरीन केबलों के लिए पर्यावरणीय खतरों जैसे मुद्दों पर रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना।
- सदस्य: विश्व भर से 40 सदस्य जिनमें मंत्री, नियामक प्राधिकरणों के प्रमुख और दूरसंचार के विशेषज्ञ शामिल हैं।

सबमरीन टेलीकॉम केबल्स के बारे में -

- सबमरीन केबल फ़ाइबर-ऑप्टिक केबल हैं जो समुद्र तल के साथ-साथ चलती हैं, महाद्वीपों के बीच डेटा ले जाती हैं। इन्हें अंडर सी केबल (undersea cables)के नाम से भी जाना जाता है।
- वे वैश्विक इंटरनेट की रीढ़ हैं, जो वीडियो कॉल, ईमेल और वेबपेज सहित अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)

- यह एक **संयुक्त राष्ट्र एजेंसी** है <mark>जो वैश्विक</mark> दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं का समन्वय करती है। (ITU 1947 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई)।
- आईटीयू की स्थापना 1865 में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन के साथ हुई थी। (मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड)।

अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति (ICPC)

- यह सबमरीन केबल उद्योग में शामिल सरकारों और वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए एक वैश्विक मंच है।
- इसकी स्थापना 1958 में हुई थी।

स्रोत:

• पीआईबी- सबमरीन दूरसंचार केबलों की लचीलापन को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय का गठन किया गया



राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन(National Mission on Libraries)

संदर्भ

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना के बारे में जानकारी दी।

राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (NML) के बारे में -

- इसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों और सेवाओं के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए लॉन्च किया गया था।
- इसकी स्थापना 2012 में **राष्ट्रीय ज्ञान आयोग** की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
- NML के 4 मुख्य घटक हैं:
 - नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (NVLI): बहुभाषी खोज के साथ सांस्कृतिक विरासत का एक डिजिटल भंडार।
 - NML मॉडल लाइब्रेरी योजना: सार्वजिनक पुस्तकालय के बुनियादी ढांचे को उन्नत करती है और पहुँच में सुधार करती है।
 - मात्रात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण: उपयोगकर्ताओं और गैर-उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया एकत्र करता है।
 - क्षमता निर्माण: पुस्तकालय पेशेवर का कौशल संवर्धन।
- उद्देश्य:
 - नागरिकों को डिजिटल सामग्री-आधारित सेवाएं प्रदान करना
 - पुस्तकालय के बुनियादी ढाँचे और पहुँच में सुधार।
 - पुस्तकालय पेशेवरों को कौशल प्रदान करना

स्रोत:

• पीआईबी - राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन



प्राकृतिक मोती उत्पादन को बढ़ाना

संदर्भ

भारत सरकार ने **मत्स्य पालन विभाग** के माध्यम से देश भर में प्राकृतिक मोती खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है।

प्राकृतिक मोती के बारे में -

- प्राकृतिक मोती की खेती में मीठे पानी या समुद्री वातावरण में संधारणीय तरीकों से मोती की खेती शामिल है।
- मोती विश्व के एकमात्र रत हैं जो किसी जीवित प्राणी से प्राप्त होते हैं।
- सीप और मसल (mussels) जैसे मोलस्क मोती पैदा करते हैं।
- मोती की खेती करने वाले राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, केरल, राजस्थान, झारखंड, गोवा और त्रिप्रा।
- मोती की खेती के लाभ: किसानों के लिए आय का वैकल्पिक स्रोत, पर्यावरण पर कम प्रभाव, रोजगार के अवसर और इको-टूरिज्म को बढावा।

प्राकृतिक मोती खेती की प्रक्रिया -

• मोलस्क का चयन

- समुद्री मोती सीप (जैसे, पिंकटाडा प्रजाति) और मीठे पानी के मसल (mussels) का आमतौर पर उपयोग किया जाता है।
- मोलस्क स्वस्थ और संवर्धन के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

• बीजारोपण/ग्राफ्टिंग प्रक्रिया

- एक छोटा सा उत्तेजक पदार्थ, आमतौर पर एक मनका या ऊतक, मोलस्क में डाला जाता है।
- यह प्रक्रिया नैक्रे (मोती बनाने वाली सामग्री) के स्राव को उत्तेजित करती है।

• संवर्धन काल

- मोलस्क को जल निकायों में पिंजरों और राफ्ट जैसे नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है
- मोती के प्रकार और पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर इसकी खेती की अविध 6 महीने से लेकर कई वर्षों तक होती है।


कटाई


- मोती को मोलस्क को नुकसान पहुंचाए बिना सावधानीपूर्वक निकाला जाता है।
- उच्च गुणवत्ता वाले मोतियों को आकार, आकृति, रंग और चमक के आधार पर छांटा और वर्गीकृत किया जाता है।

• फसल-उपरांत प्रसंस्करण

मोतियों को बाज़ार में लाने से पहले उनकी सफाई, पॉलिशिंग और ग्रेडिंग की जाती है।







स्रोत:

• पीआईबी - प्राकृतिक मोती उत्पादन को बढ़ावा देना



घरेलू उद्योग में तांबे का आभाव

संदर्भ

भारत को संभावित तांबे के आभाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि परिष्कृत तांबे के आयात के लिए नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) मानदंड, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रमाणित न किए गए आयातों पर प्रतिबंध लगाते हैं।

BIS प्रमाणन से संबंधित चुनौतियाँ -

- 2023-24 में, भारत ने अपने तांबे के आयात का 80%, जापान से प्राप्त किया।
- गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) ने निम्न स्तर की आपूर्ति को रोकने के लिए, परिष्कृत तांबे के आयात हेतु BIS प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया है। इसके कारण जापान सिहत, गैर-प्रमाणित उत्पादकों से आयात पर रोक लगा दी गई है।
- प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए प्रतिरोधकता परीक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें शामिल हैं:
 - तांबे के पतले तारों का उत्पादन।
 - भारत में BIS-अनुमोदित प्रयोगशालाओं में परीक्षण।

तांबे के संदर्भ में -

- तांबा विदयत का अच्छा सुचालक है और तन्य (पतले तार के रूप में खींचे जा सकने योग्य) होता है।
- इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और रक्षा उद्योगों तथा विद्युत उद्योग में तार, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर एवं जनरेटर बनाने के लिए किया जाता है।
- तांबे के भंडार और उत्पादन:
 - o विश्व भर में सबसे अधिक भंडार: चिली, कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य, पेरू और चीन।
 - विश्व भर में उच्चतम उत्पादन: चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, रूस
- भारतः
 - भारत में निम्न श्रेणी का तांबा अयस्क भंडार उपलब्ध है।
 - कुल भंडार लगभग ४६ मिलियन टन है।
 - सर्वाधिक भंडार वाले राज्य: राजस्थान (50%) मध्य प्रदेश (24%) झारखंड (19%)
 - उत्पादन के अनुसार:
 - प्रथम मध्य प्रदेश (महत्वपूर्ण खदानें मलाजखंड और बालाघाट)
 - द्वितीय- राजस्थान (झुंझुनू जिले में खेतड़ी- सिंघाना बेल्ट)
 - तृतीय- झारखंड (सिंहभूम)




संघ लोक सेवा आयोग विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. संसार का लगभग तीन-चौथाई कोबाल्ट, जो विद्युत् मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? (2023)

- (a) अर्जेंटीना
- (b) बोत्सवाना
- (c) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो)
- (d) कजाकिस्तान

उत्तर: C



स्रोत:

• इंडियन एक्सप्रेस - घरेलू उद्योग में तांबे की कमी



अन्न चक्र

संदर्भ

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और सब्सिडी तंत्र को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से, दो परिवर्तनकारी उपकरणों का अनावरण किया: अन्न चक्र और स्कैन (SCAN)।

अन्न चक्र के संदर्भ में -

- इसे खाद्य एवं सार्वजिनक वितरण विभाग द्वारा, विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और IIT-दिल्ली के FITT (नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए फाउंडेशन) के साथ साझेदारी में विकसित किया गया।
- उद्देश्य: लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को अनुकूलित करके, आवश्यक वस्तुओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करके तथा लागत को कम करके, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार करना।
- मुख्य विशेषताएं:
 - यह पी.एम. गित शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है, जिसमें 4.37 लाख उचित मूल्य की दुकानों (FPS) और 6,700 गोदामों की भौगोलिक स्थिति शामिल है।
 - इसे अंतरराज्यीय PDS आवागमन के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP)
 के माध्यम से भारतीय रेलवे की माल परिचालन सूचना प्रणाली (FOIS) के साथ भी एकीकृत किया गया है।
 - यह सबसे कुशल वितरण मार्गों की पहचान करने हेतु, मार्ग अनुकूलन के लिए उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करता है।

NFSA (SCAN) के लिए सब्सिडी दावा आवेदन के संदर्भ में -

- उद्देश्य: एंड-टू-एंड ऑटोमेशन के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत, खाद्य सब्सिडी दावों के निपटान को आधुनिक बनाना और तीव्र करना।
- प्रमुख विशेषताएँ:
 - यह राज्यों द्वारा सब्सिडी के दावों को प्रस्तुत करने, खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दावे की जांच तथा अनुमोदन के लिए त्वरित निपटान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतू, एकल विंडो प्रदान करेगा।
 - यह पोर्टल नियम-आधारित प्रसंस्करण का उपयोग करके, खाद्य सब्सिडी जारी करने और निपटान के लिए, सभी प्रक्रियाओं के एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो स्वचालन को सुनिश्चित करेगा।

स्रोत:

पीआईबी - अन्न चक्र', सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति शृंखला अनुकूलन उपकरण



संपादकीय सारांश

राज्य और वित्त आयोग के समक्ष चुनौती

संदर्भ

- तिमलनाडु सरकार ने हाल ही में 16वें वित्त आयोग की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता अरविन्द पनगढ़िया ने की।
- यह आयोग भारत की गंभीर वित्तीय चुनौतियों से निपटने और केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में असंतुलन को दूर करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात है।

वित्त आयोग के उत्तरदायित्व

- करों का वितरण: करों की शुद्ध आय को संघ और राज्यों के मध्य (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण) तथा राज्यों के मध्य (क्षैतिज हस्तांतरण) विभाजित करने की सिफारिश करना।
- सहायता अनुदान: वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करने के उपाय प्रस्तावित करना।
- राजकोषीय स्थिरता को बढ़ाना: राजकोषीय समेकन में सुधार के लिए उपाय सुझाना और राज्यों को सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- विशेष आवश्यकताओं को संबोधित करना: प्राकृतिक आपदाओं या सामाजिक-आर्थिक विषमताओं जैसी अनूठी चुनौतियों का सामना करने वाले राज्यों के लिए, विशेष प्रावधानों पर सिफारिशें करना।
- नीति अनुशंसाएँ: संसाधन आवंटन में राजकोषीय दक्षता, समानता तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर परामर्श देना।

विगत कमियां

- अप्रभावी पुनर्वितरण: उच्च संसाधन आवंटित करने के बावजूद, क्षैतिज हस्तांतरण तंत्र प्रायः अविकसित राज्यों में वास्तविक विकास को आगे बढ़ाने में <mark>विफल र</mark>हे।
- प्रभावी हस्तांतरण में गिरावट: पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी की सिफारिश की थी, किन्तु केंद्र सरकार द्वारा उपकर और अधिभार बढ़ाने के कारण वास्तविक हस्तांतरण केवल 33.16% था।
- असंगत राजकोषीय स्वायत्तता: केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों के लिए, पर्याप्त स्वायत्तता के बिना राज्यों पर उच्च वित्तीय भार डाला।
- स्टेटिक मेट्रिक्स पर अत्यधिक निर्भरता: वितरण सूत्र प्रायः शहरीकरण, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और आर्थिक प्रदर्शन जैसी उभरती आवश्यकताओं को अनदेखा करते हुए, पिछड़ेपन सूचकांकों पर निर्भर होते हैं।
- प्रदर्शन करने वालों के लिए सीमित प्रोत्साहन: तिमलनाडु जैसे उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रायः अपनी सफलता के लिए दंडित किया जाता है तथा राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में उनके योगदान के सापेक्ष उन्हें कम संसाधन प्राप्त होते हैं।

राज्यों के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ

- जनसांख्यिकीय परिवर्तन: उम्रदराज़ जनसंख्या वाले राज्यों को कर राजस्व में गिरावट और हित लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ता है।
- **शहरीकरण का दबाव:** तमिलनाडु जैसे राज्यों में तीव्र शहरीकरण के कारण, अवसंरचना और शहरी नियोजन संसाधनों की मांग में वृद्धि हुई है।
- मध्य-आय जाल: प्रगतिशील राज्य निरंतर उच्च-आय स्थिति प्राप्त करने से पहले आर्थिक रूप से स्थिर होने का जोखिम उठाते हैं, विशेष रूप से पर्याप्त वित्तीय सहायता के बिना।



- जलवायु लचीलापन: चरम मौसम की घटनाओं और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए, शमन तथा अनुकूलन रणनीतियों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है।
- विकास के साथ पुनर्वितरण को संतुलित करना: अविकसित राज्यों को सहायता देने और उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के मध्य संतुलन स्थापित करना, विवादास्पद बना हुआ है।

भविष्य का दृष्टिकोण

- बढ़ी हुई राजकोषीय स्वायत्तता: विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाना और केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के फंड को व्यय करने में अधिक लचीलापन प्रदान करना, राज्यों को स्थानीय प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सशक्त बना सकता है।
- प्रदर्शन-संबद्ध आवंटनः एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना, जहाँ उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अविकसित राज्यों को समान पुनर्वितरण के साथ-साथ, पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो।
- **शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित करना:** सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए, तीव्र शहरीकरण वाले राज्यों में शहरी अवसंरचना हेत् लक्षित निधि आवंटित करना।
- जलवायु और जनसांख्यिकीय योजना: समर्पित अनुदान और प्रोत्साहन के माध्यम से, वृद्ध जनसंख्या का समर्थन करने एवं जलवायु संबंधी कमजोरियों को दूर करने हेत्, रूपरेखा विकसित करना।
- डेटा-संचालित निर्णय लेना: संसाधन आवंटन फ़्रार्मुलों में वास्तविक समय के आर्थिक प्रदर्शन, प्रवासन प्रवृत्तियों एवं पर्यावरणीय परिवर्तनों जैसे गतिशील मीट्रिक को शामिल करना।
- वैश्विक अवसरों के साथ संरेखित करना: राज्यों को वैश्विक विनिर्माण तथा निवेश केंद्रों के रूप में स्थापित करने के लिए, "फ्रेंडशोरिंग" और "रीशोरिंग" जैसी प्रवृत्तियों का लाभ प्राप्त करना।

स्रोत: दु हिंदु: राज्य और वित्त आयोग के समक्ष चुनौतियां





रबी फसल की संभावनाएं और चिंताएं

संदर्भ

- अक्टूबर के उच्च तापमान और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की कमी ने भारत में रबी (शीत-वसंत) मौसम की फसलों की बुवाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
- हालाँिक, नवंबर के मध्य के बाद स्थितियाँ बेहतर हुईं, जिससे बुवाई गतिविधियों में सुधार हुआ।

भारत में फसल मौसम			
DIFFERENCES	Rabi	Kharif	Zaid
SOWN (Between)	October to December	July (Onset of Monsoon) to August	March to May
HARVEST	April to June	September to October	Summer Months
WATER SUPPLY	Rains due to Western Temperate Cyclones	Monsoon Rains	Irrigation
CROPS	Wheat, barley, peas, gram and mustard. (5 Crops)	Paddy, maize, jowar, bajra, tur (arhar), moong, urad, cotton, jute, groundnut and soyabean. (11 Crops)	Watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables, fodder crops; and Sugarcane (needs a year to grow).
PLACES	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh (6 Places)	Rice - Assam; West Bengal; coastal regions of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala; Maharashtra (Konkan coast), Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Bihar (12 States)	Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Gujarat, and Tamil Nadu.

रबी फसल रोपण का अवलोकन

- प्रारंभिक विलम्बः अक्टूबर में उच्च तापमान के कारण गेहूं, सरसों, चना, मसूर और अन्य रबी फसलों की बुवाई की शुरुआत धीमी रही।
 - 8 नवंबर तक किसानों ने केवल 41.30 लाख हेक्टेयर (एलएच) गेहूं की बुवाई की थी, जो पिछले वर्ष के 48.87 लाख हेक्टेयर से कम है।
 - सरसों (50.73 से 49.90 लीटर प्रति घंटा) और चना (27.42 से 24.57 लीटर प्रति घंटा) में भी इसी प्रकार की गिरावट देखी गई।
- तापमान डेटा: अक्टूबर 2023 में, औसत अधिकतम, न्यूनतम और औसत तापमान क्रमशः सामान्य से 0.68°C, 1.78°C और 1.23°C अधिक था।
 - भारत के कई क्षेत्रों में औसत न्यूनतम तापमान 1901 के बाद से सबसे अधिक था।
- विलंबित बुवाई: रबी फसलों की बुवाई का सामान्य समय अक्टूबर से मध्य नवम्बर तक होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों ने गर्मी के कारण 20-22 अक्टूबर के आसपास ही बुवाई शुरू की।

फसल वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक

- मृदा नमी और जल उपलब्धता: अधिशेष मानसून वर्षा से प्रमुख जलाशयों में जल स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, तथा 1 नवंबर तक यह अपनी पूर्ण क्षमता के 86.7% तक पहुंच गया है, जबिक पिछले वर्ष यह 70.5% था।
 - पानी की यह उपलब्धता किसानों को आक्रामक तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है।



- ला नीना का प्रभाव: विकासशील ला नीना घटना से सामान्य से अधिक ठंडी सर्दियां और अधिक वर्षा होने की उम्मीद है, जो फसल की वृद्धि को बढ़ावा दे सकती है और देर से बुवाई के प्रभावों को कम कर सकती है।
- उर्वरक की कमी: डीएपी की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है; इसमें 46% फास्फोरस होता है, जो जड़ों के प्रारंभिक विकास के लिए आवश्यक है।
 - किसानों को डी.ए.पी. के लिए लम्बी कतारों का सामना करना पड़ा और उन्हें कम फास्फोरस वाले वैकल्पिक उर्वरकों का सहारा लेना पडा।
 - डीएपी की बिक्री और प्रारंभिक स्टॉक पिछले वर्ष की तुलना में कम था।

बुआई में सुधार

- गेहूँ का रकबा बढ़कर 200.35 लाख हेक्टेयर हो गया, जबिक पिछले वर्ष इसी समय यह रकबा 187.97 लाख हेक्टेयर था।
 - o चना की कीमत भी 74.39 लाख प्रति घंटा से बढ़कर 78.52 लाख प्रति घंटा हो गई।
- अन्य फसलों में समग्र सुधार के बावजूद, सरसों की बुवाई पिछले वर्ष के आंकड़ों (75.86 एलएच बनाम 80.06 एलएच) से पीछे रही।

खाद्य मुद्रास्फीति और प्रमुख वस्तुएं

- अक्टूबर में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति: खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष-दर-वर्ष 10.9% पर पहुंच गई; सब्जियों में 42.2% की चौंका देने वाली वृद्धि देखी गई।
- सिब्जियों की कीमतों में कमी: टमाटर, गाजर और पालक जैसी सिर्दियों की सिब्जियां बाजारों में आ रही हैं, जिससे कीमतों में कमी आई है।
 - उदाहरण के लिए, लासलगांव बाजार (महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्याज बाजार) में प्याज की कीमतें नवंबर के अंत में ₹5,500/क्विटल से गिरकर ₹3,700/क्विटल हो गईं।
- गेहूं और खाद्य तेलों के लिए चिंताएं:
 - गेहूं: 1 नवंबर, 2024 तक सरकारी गेहूं का स्टॉक 222.64 लाख टन (एलटी) था।
 - 25-30 लीटर की औसत मासिक कमी के साथ, अप्रैल 2025 में प्रारंभिक स्टॉक 72-98 लीटर होने का अनुमान है - जो 74.6 लीटर की मानक न्यूनतम आवश्यकता को बमुश्किल पूरा करेगा।
 - जागामी रबी गेहूं फसल के आकार को लेकर अनिश्चितता के कारण सरकार आपूर्ति सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान 40% आयात शुल्क को कम करने पर मजबूर हो सकती है।
 - **खाद्य तेल:** इंडोनेशिया द्वारा 2025 से डीजल में अनिवार्य पाम तेल सम्मिश्रण को 35% से बढ़ाकर 40% करने की योजना के कारण वैश्विक कीमतों में वृद्धि हो रही है।
 - इसके अलावा पाम तेल के निर्यात पर कर में भी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया।
 - इन कारकों के कारण भारत के लिए खाद्य तेल का आयात महंगा हो जाता है, जिससे घरेलू कीमतों पर दबाव बढ़ता है।

भविष्य का दृष्टिकोण

चुनाव नजदीक आने के कारण फसल की पैदावार और खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता के कारण सरकार गेहूं और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम करने पर विचार कर सकती है।

स्रोतः <u>इंडियन एक्सप्रेसः रबी फसल की संभावना</u>



विस्तृत कवरेज

स्टोन क्रशिंग उद्योग का मानव स्वास्थ्य और कृषि उत्पादन पर प्रभाव

संदर्भ

स्टोन क्रशर उद्योगों के पास की जनसंख्या, जानवर और पौधे, उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक धूल से प्रभावित होते हैं।

स्टोन क्रशिंग उद्योग क्या है?

- स्टोन क्रशिंग उद्योग में मुख्य रूप से विनिर्माण तथा अवसंरचना परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले कुचले हुए पत्थर, बजरी तथा अन्य समग्र सामग्रियों का निष्कर्षण, प्रसंस्करण एवं उत्पादन शामिल है।
- यह क्षेत्र विनिर्माण उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्मित करता है और औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

भारत में पत्थर काटने और पिसने वाले उद्योगों का महत्व

- बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान: उद्योग निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक समुच्चय, पत्थर और पीसी हुई चट्टान जैसे कच्चे माल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजिनक बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता प्रदान करता है।
- रोजगार सृजन: विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रमिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।
- **अर्थव्यवस्था को बढ़ावा**: करों, खनन रॉयल्टी और निर्यात <mark>शुल</mark>्क के माध्यम से सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करता है।
- निर्यात क्षमता: भारत ग्रेनाइट, संगमरमर और बलुआ पत्थर सहित प्राकृतिक पत्थर का एक प्रमुख निर्यातक है।
- ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास: पत्थर-समृद्ध क्षेत्रों में छोटे पैमाने के औद्योगिक क्लस्टर बनाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है।
 - क्षेत्रीय संतुलन को प्रोत्साहित करते हुए पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाता है।
- पारंपरिक कला और वास्तुकला के लिए समर्थन: मूर्तियों, स्मारकों और पारंपरिक वास्तुकला सहित भारत की पत्थर शिल्प की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देता है।
 - पत्थर की नक्काशी और कटाई में पारंपिरक कौशल को पुनर्जीवित करता है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है।

प्रभाव

मानव स्वास्थ्य पर

- **श्वसन संबंधी समस्याएं**: पत्थर तोड़ने की गतिविधियों से निकलने वाली धूल के संपर्क में आने से श्वसन संबंधी बीमारियां अधिक होती हैं।
 - अध्ययनों से पता चलता है कि 89% तक पत्थर काटने वाले श्रमिक क्रोनिक श्वसन लक्षणों की रिपोर्ट करते हैं, जिनमें सीने में जकड़न, पुरानी खांसी और सांस की तकलीफ शामिल है।
 - o कार्यस्थलों में पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) की सांद्रता अक्सर सुरक्षित स्तर से अधिक होती है।



- इससे श्रमिकों और आसपास के निवासियों में सिलिकोसिस, अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्सट्रिक्टव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) जैसी स्थितियां पैदा होती हैं।
- अन्य स्वास्थ्य समस्याएं: श्वसन संबंधी बीमारियों के अलावा, पत्थर तोड़ने वाली जगहों के पास रहने वाले व्यक्तियों में आंखों में जलन, त्वचा रोग, सिरदर्द और सुनने की हानि सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं।
 - सर्वेक्षणों से पता चला है कि पत्थर तोड़ने के काम के 500 मीटर के दायरे में आबादी में इन स्थितियों की व्यापकता उल्लेखनीय रूप से अधिक है।
 - सिलिका धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने से फेफड़ों की तंतुमयता (fibrosis) और श्रमिकों के बीच मृत्यु दर में वृद्धि सहित गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती हैं।
- आर्थिक बोझः चिकित्सा व्यय में वृद्धि और उत्पादकता में कमी के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव प्रभावित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लागत में तब्दील हो जाता है।.

कृषि उत्पादन पर

- मिट्टी का क्षरण: पत्थर पिसने से उत्पन्न धूल न केवल वायु को प्रदूषित करती है बल्कि मिट्टी की सतहों पर भी जम जाती है, जिससे इसके पीएच में परिवर्तन हो जाता है और उर्वरता कम हो जाती है।
 - यह संदूषण, अंकुरण दर और पोषक तत्व की ग्रहणीयता को प्रभावित करके पौधों के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
 - उदाहरण के लिए, अध्ययनों से संकेत मिलता है कि पत्थर की धूल प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में चावल जैसी फसलों में अंकुरण आवृत्ति कम होती है और पैदावार कम होती है।
- फसल की उपज में कमी: शोध से पता चला है कि पत्थर की धूल पौधों में विभिन्न विकास मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिसमें अंकुर की लंबाई, जड़ की लंबाई, क्लोरोफिल सामग्री और समग्र उपज शामिल है।
 - कृषि उत्पादकता में यह गिरावट अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है।
- जल गुणवत्ता के मुद्दे: पत्थर तोड़ने वाली जगहों से होने वाला अपवाह स्थानीय जल स्रोतों को दूषित कर सकता है, जिससे सिंचाई जल की गुणवत्ता प्रभावित होकर कृषि पद्धतियों पर और असर पड़ सकता है।
 - दूषित पानी से फसल की पैदावार कम हो सकती है और खाद्य सुरक्षा से समझौता हो सकता है।

पशुओं पर

- पर्यावास को हानि: ध्विन प्रदूषण के कुल प्रभाव से स्थानीय जैव विविधता में गिरावट आ सकती है क्योंिक संवेदनशील प्रजातियाँ या तो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं या बदले हुए वातावरण में पनपने में असमर्थ होती हैं। यह नुकसान पारिस्थितिक तंत्र को अस्थिर कर सकता है और खाद्य जाल को बाधित कर सकता है।
- संचार हस्तक्षेप: कई पशु प्रजातियाँ संचार, संभोग कॉल और चेतावनी संकेतों के लिए स्वरों पर निर्भर करती हैं।
 - पत्थर तोंड़ने से होने वाला ध्विन प्रदूषण इन ध्विनयों को छिपा सकता है।
 - इस हस्तक्षेप से संभोग के सफल होने में कमी आ सकती है और शिकारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है।

शमन के उपाय

- श्रमिकों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और मास्क एवं इयरप्लग जैसे सुरक्षा गियर का उपयोग।
- पिसाई वाले स्थलों पर पानी के स्प्रे जैसे धूल दमन तंत्र स्थापित करना।
- धूल फैलाव को सीमित करने के लिए पत्थर काटने वाली इकाइयों के आसपास हरित बफर क्षेत्र स्थापित करना।
- किसानों को धूल के प्रभावों के बारे में शिक्षित करना और जैविक मिट्टी कायाकल्प तकनीकों को प्रोत्साहित करना।
- पत्थर काटने वाले उद्योगों के लिए कठोर पर्यावरण नियम लागू करना।



स्रोत: द हिंदू: धूल की चादर तले जीना





भारत भूटान संबंध

संदर्भ

भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हाल ही में भारत आए।

भारत भूटान संबंध: एक अवलोकन संबंधों का विकास

भारत और भूटान के बीच **अद्वितीय और विशेष संबंध हैं** जो सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के लंबे इतिहास पर आधारित हैं।

- सामरिक महत्व: अपने छोटे आकार के बावजूद, भूटान दक्षिण एशिया में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है और क्षेत्रीय सहयोग प्रयासों में भारत का प्रमुख साझेदार रहा है।
- राजनियक संबंधों की स्थापना: भारत और भूटान के बीच राजनियक संबंध 1968 में थिम्पू में भारत के एक विशेष कार्यालय की स्थापना के साथ स्थापित हुए।
- 1940 की मैत्री और सहयोग संधि: भारत-भूटान द्विपक्षीय संबंधों का मूल ढांचा 1949 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित मैत्री और सहयोग संधि है जिसे फरवरी 2007 में संशोधित किया गया था।
 - 1949 की संधि ने शांति और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने को सुनिश्चित किया।
 - 2007 की संधि ने विदेश नीति पर भारत की सलाह लेने हेतु भूटान के लिए पहले की आवश्यकता को प्रतिस्थापित कर दिया तथा साझा हितों में निहित संप्रभुता और सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।
- वर्ष 2018 में भारत और भूटान के बीच औपचारिक राजनियक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाई गई।

सहयोग और महत्व के क्षेत्र

सहयाग आर महत्व क वात्र			
आयाम	विवरण		
सामरिक	 भूटान भारत और चीन के बीच स्थित है, और इसकी रणनीतिक स्थिति भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर (जिसे चिकन्स नेक के नाम से भी जाना जाता है - लगभग 22 किलोमीटर की भूमि का एक संकीर्ण विस्तार) की सुरक्षा में मदद करती है। 2017 में डोकलाम गतिरोध ने दिखाया कि भूटान भारत की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है 		
आर्थिक	 1972 में प्रथम व्यापार और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे, जिसमें अब तक पांच संशोधन हो चुके हैं (1983, 1990, 1995, 2006 और 2016)। व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर वर्तमान समझौता 2026 तक वैध है। ऋण सुविधा: भारत ने पांच वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त स्टैंडबाय ऋण सुविधा (एससीएफ) बढ़ाने के भूटान के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। भारत ने भूटान को अपनी वित्तीय सहायता को दोगुना करने की योजना बनाई है, जिसे 2019-2024 की अविध के लिए वर्तमान ₹5,000 करोड़ 		



	से बढ़ाकर 2029 तक की अवधि के लिए ₹10,000 करोड़ किया जाएगा। • वित्तीय साझेदारी: रुपे कार्ड और भीम ऐप के शुभारंभ से भारत और भूटान के बीच वित्तीय साझेदारी बढ़ी है।
सांस्कृतिक और शैक्षिक	 नेहरू-वांगचुक छात्रवृत्ति राजदूत छात्रवृत्ति के माध्यम से भूटानी छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान करता है। भारत-भूटान फाउंडेशन का उद्देश्य सांस्कृतिक क्षेत्र में लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाना है। भूटान के ड्रक अनुसंधान एवं शिक्षा नेटवर्क (ड्रकआरईएन) को भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के साथ एकीकृत किया गया, जो ई-लर्निंग पहल और ज्ञान के आदान-प्रदान को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ক ৰ্जা	 भूटान में तीन जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया है (और भारत को अधिशेष बिजली निर्यात कर रहा है) - छुखा एचईपी, कुरिचू एचईपी और ताला एचईपी। भारत भूटान में मंगदेछू, पुनात्सांगछू 1 और 2 जलविद्युत परियोजनाओं का भी निर्माण कर रहा है।
क्षेत्रीय	बिम्सटेक और सार्क जैसे क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं ।
पर्यावरण	कार्बन मुक्त बनाने के उसके प्रयासों में सहयोग दे रहा है ।
कनेक्टिविटी	 कोकराझार (असम)-गेलेफू रेल संपर्क की दिशा में प्रयास तेज कर दिए गए, जिससे क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। गेलेफू हवाई अड्डे के निर्माण के लिए समर्थन दिया गया, जिसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाना है। भारत और भूटान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नया भू-मार्ग खोला गया। यह मार्ग पश्चिम बंगाल के जयगांव को भूटान के अहले, पासाखा से जोड़ता है दोनों देशों के बीच भविष्य की पहल कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। विशिष्ट परियोजनाओं में बरहाथ-समत्से के बीच नए रेल संपर्क स्थापित करना, तथा ब्रह्मपुत्र पर जलमार्ग नौवहन को मजबूत करना शामिल है ।
सुरक्षा	 भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (आईएमटीआरएटी) स्थायी रूप से पश्चिमी भूटान में स्थित है और रॉयल भूटान सेना को सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारतीय वायु सेना की पूर्वी वायु कमान भूटान को हवाई सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि देश के पास वायु सेना नहीं है। दंतक ' परियोजना के तहत भूटान में अधिकांश सड़कें बनाई हैं।



भारत-भूटान संबंधों में चुनौतियाँ

- चीनी प्रभाव: भारत डोकलाम पर भूटान के दावे का समर्थन करता है क्योंकि यह भारत की सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
 - चीन का इस क्षेत्र पर प्रभुत्व बढ़ने से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा हो सकता है, जो एक संकीर्ण मार्ग है जो भारतीय मुख्य भूमि को इसके उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ता है।
- जलविद्युत व्यापार में मुद्देः भारत द्वारा विद्युत क्रय नीति में पिछले परिवर्तनों, भूटान को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड में शामिल करने से इनकार करने आदि के कारण संबंधों में दरार पैदा हो गई है।
- उग्रवादियों के लिए छिपने का स्थान: यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोस (एनडीएफबी) आदि जैसे उग्रवादी संगठन दक्षिणी भूटान के घने जंगलों को अपने छिपने के स्थान के रूप में उपयोग करते हैं और भारत के खिलाफ काम करते हैं।
 - ऑपरेशन ऑल क्लियर (2003-04) भूटान द्वारा इन उग्रवादियों के खिलाफ पहली कार्रवाई थी।
- बीबीआईएन पहल: क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौते को पर्यावरणीय चिंताओं के कारण भूटान द्वारा रोक दिया गया है।
- व्यापार तक पहुंच: भूटान बांग्लादेश तक पहुंच बनाकर अपने बाजार में विविधता ला रहा है, दोनों देशों ने 2021 में एक तरजीही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

आगे की राह

- त्रिपक्षीय संवाद की शुरुआत: इस तरह के संचार चैनल खोलने से अनिश्चितताओं को कम किया जा सकता है, क्योंकि शांति और संघर्ष के प्रश्नों को भविष्य में संभावित गतिरोधों (जैसे डोकलाम) से हल नहीं किया जा सकता है।
- आर्थिक संबंधों में विविधता: फिलहाल, भूटान के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में जलविद्युत परियोजनाएं ही प्रमुख भूमिका में हैं।
 - ं दोनों देशों के बीच फिनटेक, अंतरिक्ष तकनीक और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने से साझेदारी और मजबूत हो सकती है।
- लोगों के बीच संबंधों में सुधार: बौद्ध धर्म के माध्यम से तथा दोनों देशों के बीच अधिक पर्यटक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करके सॉफ्ट पावर कूटनीति को प्रेरित किया जा सकता है।
- सुरक्षा उपाय: देशों के बीच संपर्क बिंदुओं की स्थापना और आपराधिक मामलों में सूचना के वास्तविक समय साझाकरण के लिए तंत्र,
 - सीमा चौिकयों पर तैनात कानून प्रवर्तन किर्मियों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास,
 - भारत-भूटान सीमा के लिए प्रत्यावर्तन पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का विकास।

स्रोत: द हिंदू: भूटान और भारत ने गेलेफू, जल विद्युत योजनाओं पर चर्चा की